एस. शिवप्रकाशम

बनाम

बी.वी. मुनिराज तथा अन्य

3 अप्रैल, 1997

[के. रामास्वामी तथा डी.पी. वाधवा, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 : आदेश 21, नियम 92 तथा आदेश 24, नियम 4 एवं 5।

बंधक—बंधकग्राही बैंक—एम. बंधककर्ता—बंधककर्ता बैंक द्वारा फोरक्लोज़र वाद दाखिल —प्रारंभिक तथा अंतिम डिक्री पारित—अंतिम डिक्री पारित किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ— एक लेनदार द्वारा वाद दाखिल किया गया तथा धन डिक्री प्राप्त की गई—डिक्री का निष्पादन— नीलामी विक्रय—संपत्ति के द्वारा क्रय की गई—उत्तरदाताओं के पक्ष में संपत्ति का अंतरण— अंतिम डिक्री पारित किए जाने हेतु आदेश 24 नियम 5 के अधीन उत्तरदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल—उच्च न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती क्रेताओं के पक्ष में अंतिम डिक्री पारित किए जाने को यथावत् रखा गया—उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील—अभिनिर्धारित किया गया, कि अंतिम डिक्री का पारित किया जाना विधिमान्य था—संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 लागू नहीं पाई गई—आदेश 21 तथा आदेश 34 के मध्य विभेद स्पष्ट किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1986 की दीवानी अपील सं. 2911।

1984 की सी.आर.पी. सं. 4307 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 23.9.85 के निर्णय तथा आदेश से।

एस. बालकृष्णन तथा एस. प्रसाद, अपीलकर्ता की ओर से।

त्रिपुरारी राय, विनीत कुमार की ओर से तथा यतीश मोहन, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 23 सितंबर, 1985 को सी.आर.पी. सं. 4307/84 में दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई है। तथ्य कुछ जटिल हैं, किन्तु उस जटिलता को स्पष्ट करने हेतु, वे निम्नवत् हैं :—

कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड वादपत्र अनुसूची संपत्ति के संबंध में बंधकग्राही था और माणिक्कम मुदलियार बंधककर्ता था। बंधक का फोरक्लोज़र करने हेतु बैंक द्वारा ओ.एस. सं. 340/1951 दाखिल किया गया। 20 दिसंबर, 1951 को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई तथा 28 अगस्त, 1952 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जब अंतिम डिक्री पारित किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ उन कार्यवाहियों के दौरान तथा बाद में उसके निष्पादन के दौरान उठाई गईं, तब एक साधारण धन लेनदार पलानीअम्मल ने माणिक्कम मुदलियार के विरुद्ध ओ.एस. सं. 321/1958 दाखिल किया तथा धन डिक्री प्राप्त की। डिक्री के निष्पादन में, वही संपत्ति विक्रय हेतु लाई गई, जिसमें एक कंदास्वामी ने 4 सितंबर, 1963 को न्यायालयीय नीलामी में संपत्ति क्रय की। निर्विवाद रूप से, उक्त विक्रय की पुष्टि की गई तथा उक्त डिक्री के अधीन कब्जा प्राप्त कर लिया गया। कंदास्वामी ने संपत्ति का अंतरण बी.वी. मुनिराज तथा बी.वी. रंगराज, उत्तरदाता सं. 1 तथा 2, के पक्ष में कर दिया। तत्पश्चात्, पक्षकारों के मध्य कार्यवाहियाँ चलती रहीं, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। उत्तरदाता सं. 1 तथा 2 ने आदेश 34, नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश 34 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार अंतिम डिक्री पारित किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किया। वह आदेश पारित किया गया। आपत्तियों पर पारित आदेश तथा आदेश 34, नियम 5 के अधीन निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण का विषय थे और उन पर एक साथ विचार किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पश्चातवर्ती न्यायालयीय क्रेताओं बी.वी. मुनिराज तथा बी.वी. रंगराज के पक्ष में अंतिम डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई को यथावत् रखा। पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान, उन्होंने भी संपत्ति का विक्रय एस. पलानीस्वामी को कर दिया, जो यहाँ पाँचवाँ उत्तरदाता है। इस प्रकार, प्रश्न उत्पन्न होता है कि

क्या बंधक डिक्री में संपत्ति के अपीलकर्ता-क्रेता को बंधक वाद में अंतिम डिक्री पारित कराए जाने के संबंध में धन डिक्री के क्रेता पर अग्राधिकार प्राप्त है।

आदेश 34, नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नवत् उपबंधित करता है :—

"5. विक्रय हेतु वाद में अंतिम डिक्री—(1) जहाँ नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन पारित अंतिम डिक्री के अनुसरण में किए गए विक्रय की पुष्टि से पूर्व नियत दिन को अथवा किसी भी समय पूर्व, प्रतिवादी नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन उससे देय सभी राशियों का न्यायालय में भुगतान कर देता है, वहाँ न्यायालय, इस निमित्त प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर, एक अंतिम डिक्री पारित करेगा अथवा, यदि ऐसी डिक्री पारित की जा चुकी है, तो एक आदेश पारित करेगा—

(ए) वादी को प्रारंभिक डिक्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को सुपुर्द करने का आदेश देते हुए, तथा यदि आवश्यक हो,—

(बी) उसे उक्त डिक्री में निदेशित अनुसार बंधक संपत्ति का अंतरण करने का आदेश देते हुए, तथा साथ ही, यदि आवश्यक हो,—

(सी) उसे प्रतिवादी को संपत्ति का कब्जा देने का आदेश देते हुए।

(2) जहाँ बंधक संपत्ति अथवा उसका कोई भाग इस नियम के उपनियम (3) के अधीन पारित डिक्री के अनुसरण में विक्रय किया गया है, वहाँ न्यायालय इस नियम के उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जब तक कि प्रतिवादी उपनियम (1) में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त, क्रेता को भुगतान हेतु न्यायालय में क्रेता द्वारा जमा किए गए क्रय-मूल्य की राशि के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि न्यायालय में जमा न कर दे।

जहाँ ऐसा निक्षेप किया गया है, वहाँ क्रेता न्यायालय में उसके द्वारा जमा किए गए क्रय-मूल्य की राशि तथा उसके पाँच प्रतिशत के बराबर राशि की प्रतिदायगी के आदेश का हकदार होगा।

(3) जहाँ उपनियम (1) के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय, इस निमित्त वादी द्वारा किए गए आवेदन पर, यह निदेश देने वाली अंतिम डिक्री पारित करेगा कि बंधक संपत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग विक्रय किया जाए तथा विक्रय से प्राप्त आय का व्यवहार नियम 4 के उपनियम (1) में उपबंधित रीति से किया जाए।"

उत्तरवर्ती दो खंड इस वाद के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि जहाँ आदेश 34 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन पारित अंतिम डिक्री के अनुसरण में किए गए विक्रय की पुष्टि से पूर्व नियत दिन को अथवा किसी भी समय पूर्व, प्रतिवादी नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन उससे देय सभी राशियों का न्यायालय में भुगतान कर देता है, वहाँ न्यायालय, इस निमित्त प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर, एक अंतिम डिक्री पारित करेगा अथवा, यदि ऐसी डिक्री पारित की जा चुकी है, तो एक आदेश पारित करेगा, जिसमें वादी को प्रारंभिक डिक्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, तो उसे उक्त डिक्री में निदेशित अनुसार बंधक संपत्ति का अंतरण करने का आदेश दिया जाएगा और साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो उसे प्रतिवादी को संपत्ति का कब्जा देने का आदेश दिया जाएगा। अतः प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता सं. 1 तथा 2, जिनके पक्ष में नीलामी-क्रेता कंदास्वामी द्वारा निष्पादित विमोचन विलेख को निष्पादन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, आदेश 34, नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन करने के हकदार हैं?

यह देखा जाता है कि चूँकि साधारण धन डिक्री का न्यायालय के माध्यम से विधिवत् निष्पादन किया गया था और वही संपत्ति विक्रय हेतु लाई गई थी, जिसकी विधिवत् पुष्टि की

गई तथा उसके निष्पादन में कब्जा प्राप्त किया गया, इसलिए धन डिक्री में उक्त संपत्ति के नीलामी-क्रेता, निर्णीत-ऋणी माणिक्कम मुदलियार के स्थान पर आ गए। परिणामस्वरूप, उन्होंने स्वयं को बंधक डिक्री में प्रतिवादियों के रूप में प्रतिस्थापित करा लिया। इसलिए, अंतिम डिक्री की पुष्टि से पूर्व, वे समस्त डिक्रीगत राशि जमा करते हुए आदेश 34, नियम 5 के अधीन आवेदन करने तथा न्यायालय से अंतिम डिक्री पारित करने और बंधकग्राही, कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, को यह निर्देश देने के हकदार हैं कि वह डिक्री के संतुष्ट हो जाने का समुचित पृष्ठांकन करते हुए सभी दस्तावेज उन्हें सुपुर्द करे। फलस्वरूप, इस प्रकार अधिकार परिपक्व हो जाने से, प्रतिस्थापन का अधिकार, बंधक डिक्री में क्रेता के आच्छादित अधिकार पर अधिछाया कर गया। इस प्रकार, उसका अधिकार आदेश 34, नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन द्वारा निष्प्रभावित हो गया। अतः, यद्यपि अपीलकर्ता सफल नीलामी-क्रेता था, तथापि उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ।

श्री एस. बालकृष्णन, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क करने का प्रयास किया कि आदेश 21, नियम 92, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन, जैसे ही आपत्तियाँ उठाई जाती हैं और निरस्त कर दी जाती हैं, न्यायालय के लिए विक्रय की पुष्टि करना अपेक्षित है और इस वाद में पुष्टि की कार्रवाई एक मंत्रणात्मक कार्रवाई होने के कारण, वह न तो नीलामी-क्रेता के अधिकार को पराजित करती है और न ही साधारण धन डिक्री के अधीन पश्चातवर्ती क्रेता को कोई अधिकार प्रदान करती है। *विचाराधीन वाद* का सिद्धांत लागू होता है। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं प्रतीत होता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 का तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। आदेश 34 के अधीन प्रक्रिया, आदेश 21 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से पूर्णतः पृथक् तथा भिन्न है। आदेश 21, डिक्री तथा आदेशों के निष्पादन और उसमें उठाई गई उन आपत्तियों से संबंधित है, जो बंधक डिक्री से आच्छादित संपत्ति से संबंधित नहीं हैं। आदेश 34, बंधकों से संबंधित विनिर्दिष्ट एक विशेष प्रक्रिया है। इसलिए, आदेश 21, नियम 92 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का, आदेश 34, नियम 5, सिविल प्रक्रिया

संहिता के अधीन अंतिम डिक्री पारित किए जाने के संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई किसी विधिक दोष से दूषित नहीं है, जो हस्तक्षेप अपेक्षित करे।

तदनुसार, अपील निरस्त की जाती है। कोई व्यय नहीं।

टी.एन.ए. अपील निरस्त की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।